

# कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर

क्रमांक एफ ( ) एफसीए/मुवसजो/2020-21/ 3451  
निमित्त,

दिनांक 12.7.21

अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रोटेक्शन)  
एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान

विषय : Diversion of 0.4707 ha. Forest land for laying of Optical fibre Cable along the Phalodi-Pokran Road (NH-11) from phalodi BSNL exchange to Beethadi gram under NOFN Project (chainage 0.00 to 14.040 Kms) The Phalodi jodhpur (प्रकरण संख्या FP/RJ/OFC/47432/2020)

संदर्भ : श्रीमान का ईडीएस दिनांक 7-7-2021 एवं राज्य सरकार का पत्रांक प1(46)वन/2021 जयपुर दिनांक 25-6-21 एवं उप वन संरक्षक, जोधपुर का पत्रांक 5375 दिनांक 9-7-2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आलौच्य प्रत्यावर्तन प्रकरण में श्रीमान के संदर्भित ईडीएस द्वारा लगाये गये आक्षेप का प्रत्युत्तर मय आवश्यक अभिलेख उप वन संरक्षक, जोधपुर ने संदर्भित पत्र से प्रस्तुत किये हैं। जो निम्नानुसार है :-

क्र स	ईडीएस बिन्दु	अनुपालना
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ओएफसी केबल डालने में 60 पेड़ों का पातन किया जाना प्रस्तावित है या नहीं ?	उप वन संरक्षक, जोधपुर ने संदर्भित पत्र के द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण का संशोधित वचनबद्धता प्रस्तुत की है। जिसके अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण ने खड़े पेड़ों का पातन नहीं करने की वचनबद्धता प्रस्तुत की है एवं यह भी वचनबद्धता प्रस्तुत की है कि अगर कार्य के दौरान वनभूमि पर खड़े पेड़ों को नुकसान पहुंचता है तो उल्लंघन होने पर मुआवजा राशि दिये जाने की सहमति है। अतः प्रस्ताव में खड़े पेड़ों का पातन प्रस्तावित नहीं है।

संलग्न - उक्तानुसार 2 प्रतियों में।

भवदीय

(एस आर वी मूर्थी)  
संभागीय मुख्य वन संरक्षक  
जोधपुर

दिनांक : 12-7-21

क्रमांक एफ ( ) एफसीए/मुवसजो/2020-21/ 3452-53  
प्रतिलिपि

- 1- उप वन संरक्षक, जोधपुर को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में।
- 2- मैनेजर, एसडीई (एनओएफएन) बीएसएनएल, जोधपुर।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक  
जोधपुर

# कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने, नर्सरी लाकरावेड फोन न.0291-2836753 ई-मेल: dfojodhpur@gmail.com

क्रमांक: एफ(124)FCA/उवसं/2021/5375

दिनांक: 9/7/2021

निमित्त: श्रीमान् संभागीय मुख्य वन संरक्षक  
जोधपुर

विषय:- Diversion Of 0.4707 Ha. Forest Land For Laying of Optical Fibre Cable along the Phalodi - Pokaran Road (NH-11) from Phalodi BSNL Telephone exchange to Beethadi Gram Panchayat under NOFN Project (Chainage 0.00 to 14.040 kms), Tehsil-Phalodi, Jodhpur. (Proposal No FP/RJ/OFC/47432/2020)


संदर्भ:- ऑन लाइन परिवेश पोर्टल आक्षेप दिनांक 08.07.2021 एवं राजस्थान सरकार, वन विभाग, जयपुर का पत्र क्रमांक प.1(48) वन/ 2021 दिनांक 25.08.2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित प्रस्ताव के क्रम में निवेदन है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव में लगे ऑन लाइन आक्षेप दिनांक 08.07.2021 की पालना कर प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि पर आने वाले खड़े पेड़ों पातन न करने बाबत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचनबद्धता प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी 4 प्रतियों में अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(राज बिहारी मित्तल)

उप वन संरक्षक

जोधपुर

क्रमांक: सम/

दिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर
2. Manager, SDE (NOFN), BSNL, Jodhpur

20

उप वन संरक्षक

जोधपुर

**Full Title of the Project:-** Diversion Of 0.4707 Ha. Forest Land For Laying of Optical Fibre Cable along the Phalodi - Pokaran Road (NH-11) from Phalodi BSNL Telephone exchange to Beethadi Gram Panchayat under NOFN Project (Chainage 0.00 to 14.040 kms), Tehsil-Phalodi, Jodhpur.

**File No.** FP/RJ/OFC/47432/2020,


**Date of Proposal:** 19.07.2020.

**Area of Forest Land:** 0.4707 Ha.

**प्रस्ताव के कार्य दौरान प्रस्तावित वन भूमि पर खड़े पेड़ों को पातन न करने बाबत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण- पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव में वन भूमि एवं वनस्पति का प्रयोक्ता अभिकरण एवं वन विभाग के द्वारा मौका निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित वन भूमि प्रत्यावर्तन खड़ी वनस्पति (60 पेड़ों) को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा एवं प्रस्तावित प्रत्यावर्तन वनभूमि पर खड़ी वन वनस्पति को पातन नहीं किया जायेगा। वन संरक्षण अधिनियम 1980 की पूर्णतया पालना की जायेगी। अगर उक्त प्रस्ताव की वन भूमि की खड़े पेड़ों/वनस्पति को नुकसान पहुंचाया जाये तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग को नियमानुसार कार्य उल्लघन करने पर मुआवजा राशि देने या भरने हेतु शर्तों पालना बाबत वचनबद्धता (अन्डरटैकिंग) हेतु इस प्रमाण पत्र को माना जावे।

**दिनांक : 09.07.2021**




(आर.पी. सिंह)

एस.डी.ई (एन.ओ.एफ.एन)

जोधपुर

SDE (NOFN)  
Jodhpur



उप वन संरक्षक  
जोधपुर